

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री धर्मबीर ठाकुर पिता पृथ्वीनाथ ठाकुर, श्री कुन्दन कुमार ठाकुर पिता रामकुमार ठाकुर, श्री कुणाल आनन्द पिता विष्णु ठाकुर, श्री आशीष दयावान कुमार ठाकुर पिता रेवतिनंदन ठाकुर, श्री पवन कुमार ठाकुर पिता रेवतिनंदन ठाकुर और श्री राजदेव शर्मा पिता जगेश्वर ठाकुर निवासी ग्राम: हेंजदा, थाना: पिपरवार , जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: कुटकी, थाना सं: 95 (रैयाती) खाता सं. 06 के अधीन प्लॉट सं: 56, ग्राम: बेंती, थाना सं: 97 (रैयाती) खाता सं. 30 के अधीन प्लॉट सं: 1606, ग्राम: हेंजदा, थाना सं: 94 (रैयाती) खाता सं. 01, 12, 13, 49 & 51 के अधीन प्लॉट सं: 340, 341, 136, 336, 370, 372, 105, 123, 467, 498 & 514, ग्राम: हेंजदा, थाना सं: 94 (गैरमजूरवा खास) खाता सं. 45 के अधीन प्लॉट सं: 401/4, 402/1, 371/2, 94/4, 1, 138, 139, 391, 212, 489 & 94, कुल रकबा - 12.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है ।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं ।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा ग्राम: हेंजदा, थाना: पिपरवार , जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: कुटकी, थाना सं: 95 (रैयाती) खाता सं. 06 के अधीन प्लॉट सं: 56, ग्राम: बेंती, थाना सं: 97 (रैयाती) खाता सं. 30 के अधीन प्लॉट सं: 1606, ग्राम: हेंजदा, थाना सं: 94 (रैयाती) खाता सं. 01, 12, 13, 49 & 51 के अधीन प्लॉट सं: 340, 341, 136, 336, 370, 372, 105, 123, 467, 498 & 514, ग्राम: हेंजदा, थाना सं: 94 (गैरमजूरवा खास) खाता सं. 45 के अधीन प्लॉट सं: 401/4, 402/1, 371/2, 94/4, 1, 138, 139, 391, 212, 489 & 94, कुल रकबा - 12.00 एकड़ भूमि के तहत श्री धर्मबीर ठाकुर पिता पृथ्वीनाथ ठाकुर, श्री कुन्दन कुमार ठाकुर पिता रामकुमार ठाकुर, श्री कुणाल आनन्द पिता विष्णु ठाकुर, श्री आशीष दयावान कुमार ठाकुर पिता रेवतिनंदन ठाकुर, श्री पवन कुमार ठाकुर पिता रेवतिनंदन ठाकुर और श्री राजदेव शर्मा पिता जगेश्वर ठाकुर निवासी ग्राम: हेंजदा, थाना: पिपरवार , जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है ।

*CSM*  
04/08/2020